न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या–129/2021 धारा 144 द०प्र०सं०

बिनोद दास वगै०...प्रथम पक्ष

बनाम्

रीतलाल कोयरी वगै०...द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 30/09/21 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद अंचल अधिकारी, सरिया के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के बिनोद दास वगै० बनाम द्वितीय पक्ष के रीतलाल कोयरी वगै० को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द०प्र०सं० की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ हीं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा–कंचनपुर, थाना–सरिया, जिला–गिरिडीह, खाता सं0–36, प्लॉट नं0–35, रकवा–70 डी0, चौहद्दीः उ0–परती, द0–परती, पू0–जंगल, प0–कासो लाल।

उभय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, अंचल अधिकारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द०प्र०सं० के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

30/09/21 30/09/21

अनुमंडल दण्डाधिकारी अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया। बगोदर–सरिया।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.01.13 14:05:22 +05:30
Location: 192.168.1.3